मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

खिलौना उद्योगों को 35 करोड़ तक वित्तीय मदद

फैसला

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने यूपी में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके लिए खिलौना कारखाना लगाने वाले उद्यमियों को 35 करोड़ तक पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। यूपी में अभी तक खिलौना निर्माण के लिए कोई नीति नहीं थी। नई नीति के तहत गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में खिलौना कारखाना लगाने के लिए संयंत्र और मशीनरी खरीद पर 15% तक पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। उत्पादन शुरू होने तक पूंजीगत सब्सिडी अधिकतम 20 करोड़ उत्पादन शुरू होने के बाद तीन किस्तों में दी जाएगी। इन दोनों जिलों को छोड़कर शेष प्रदेश में उद्योग लगाने मशीनरी खरीद पर 25% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। उत्पादन शुरू होने के बाद अधिकतम 35 करोड़ तक तीन किस्तों में सब्सिडी भुगतान की जाएगी।

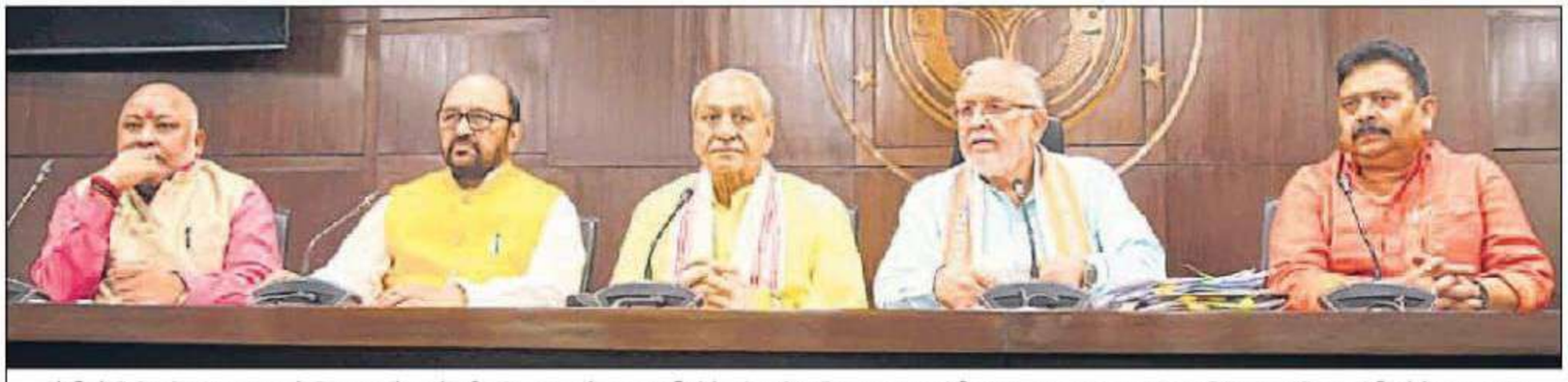

योगी कैबिनेट के मंगलवार को लिए गए फैसलों की लोकभवन में जानकारी देते प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना, स्टांप राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल। (बाएं से दाएं)

15 प्रतिशत एनसीआर में, शेष यूपी में 25% पूंजीगत मदद

01 सौ प्रतिशत स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी

बुंदेलखंड व पूर्वांचल को 40% तक भूमि सब्सिडी

नई नीति के तहत प्रदेश के तीन क्षेत्रों को अलग-अलग भूमि सब्सिडी दी जाएगी। नोएडा और गाजियाबाद में उद्योग लगाने पर 20% मध्यांचल में 30% तथा बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 40% तक भूमि सब्सिडी दी जाएगी। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों से आवंटित भूमि पर निवेशकों को सब्सिडी के बराबर बैंक गारंटी देनी होगी। बैंक गारंटी की अवधि कार्शियल उत्पादन शुरू होने के 4 वर्ष तक होगी।

इसके अलावा भी कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं। खिलौना कारखानों तथा सहायक इकाइयों को लगाने के लिए खरीद अथवा पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर 100 फीसदी की स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएदी। घरेलू पेटेंट कराने के लिए होने वाले व्यय का 75% अधिकतम 5 लाख तथा अंतरराष्ट्रीय पेटेंट पर अधिकतम 10 लाख एक मुश्त सब्सिडी दी जाएगी।

एक वर्ष तक उद्योगों को ईपीएफ में 100 फीसदी छूट

उद्योगों को ईएसआई और ईपीएफ भुगतान में भी राज्य सरकार मदद देगी। उत्पादन शुरू होने के बाद किसी कर्मचारी को न्यूनतम एक वर्ष तक रोजगार देने वाली इकाइयों को ईपीएफ भुगतान में 100% छूट दी जाएगी। यह प्रतिपूर्ति अधिकतम 1000 रुपये प्रति माह होगी। प्रति इकाई अधिकतम पांच करोड़ तक ही भुगतान किया जाएगा। मार्केटिंग पर भी अनुदान दिया जाएगा।

14429 प्राथमिक स्कूल स्मार्ट बनेंगे

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। राज्य सरकार यूपी के 14429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में बदलने जा रही है। निजी स्कूलों की तर्ज पर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। सरकार स्मार्ट स्कूल परियोजना पर 300 करोड़ रुपये खर्च करेगी। प्रत्येक स्कूल को 2.07 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी।

- परियोजना पर खर्च होंगे 300 करोड़
- स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदले जाने से विद्यार्थियों को रोचक ढंग से पढ़ाई कराई जाएगी। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए जाने के लिए श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। अधिकतम 65 इंच की इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, ओपीएस स्लॉट, पॉवर बैकअप सिस्टम, ऑडियो-विजुअल सहायक सामग्री, संपूर्ण डिजिटल कंटेंट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें ई-दीक्षा व ई-विद्या भी मौजूद रहेंगी, इंटरेक्टिव वीडियो, मोबाइल व डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, शिक्षकों की ट्रेनिंग व कैपेसिटी बिल्डिंग का मॉड्यूल सहित विभिन्न डिजिटल सामग्री इन स्मार्ट स्कूल में रहेंगी।